राजस्थान सरकार
स्वायत्त शासन विभाग राजस्थान जयपुर
(जी–3, राजमहल रेजीडेन्सी एरिया, सिविल लाईन्स फाटक के पास, सी–स्कीम, जयपुर–302005)
दूरभाष सं. 0141–2222403, 2229314 ईमेल : dlbrajasthan@gmail.com

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)डीएलबी/2025/ 12007-12319 **दिनांक :** 08.10.2025

आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी,
नगर निगम/परिषद्/पालिका,
समस्त राजस्थान।

विषय – शहरी सेवा शिविर–2025 में स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/शिथिलता बाबत्।

उपरोक्त विषयान्तर्गत लेख है कि शहरी सेवा शिविर–2025 के अन्तर्गत निम्नांकित प्रकरणों में नगरीय निकायों द्वारा समय–समय पर विभाग से मार्गदर्शन चाहा गया है।

अतः शहरी सेवा शिविर–2025 के अन्तर्गत आवेदित प्रकरणों में निम्नानुसार कार्यवाही स्थानीय स्तर पर सम्पादित की जावें :–

क्र.सं.	प्रश्न/शिथिलता	स्पष्टीकरण/मार्गदर्शन/स्वीकृति
1.	विभिन्न प्रकार के पट्टा, मंजूरी आदि में सामन्य दिनों में 15 दिवस की आपत्ति सूचना का प्रावधान है। अभियान अवधि में उक्त आपत्ति सूचना को 7 दिवस करने से कार्य में काफी गति मिलेगी।	विभागीय अधिसूचना क्रमांक भूमि/एफ. 7(ड)(श.से.शि.)डीएलबी/2025/11207 दिनांक 01.10.2025 के अनुसार शहरी सेवा शिविर–2025 के दौरान जिन आवेदनों में आमजन की 15 दिवस की आपत्ति सूचना प्रकाशित की जाती है उनमें 15 दिवस के स्थान पर 07 दिवस की आपत्ति सूचना एक स्थानीय समाचार पत्र के संस्करण में प्रकाशित की जावे। संवाद के माध्यम से सूचना प्रकाशित करने हेतु पृथक से आदेश जारी किया जावेगा।
2.	शहरी सेवा शिविर की मार्गदर्शिका में संलग्न नई टाउनशिप पॉलिसी 2024 के अनुसार बाह्य विकास शुल्क 300/– वर्गमीटर एवं आंतरिक विकास शुल्क न्यूनतम 250/–वर्गमीटर का प्रावधान किया गया है, इस संबंध में मार्गदर्शन प्रदान करें कि क्या जुलाई से	टाउनशिप पॉलिसी 2024 के बिन्दु सं0 1.7 में निम्न प्रावधान विहित है – (1.7) Applicability of the Policy& "The policy shall come into effect from the date it is notified in the official Gazette and shall apply to all urban areas as notified" अतः उक्त प्रावधान अनुसार 24.07.2025 से पूर्व की स्वीकृत योजनाओं पर उक्त

Signature valid
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Designation : Director
Date: 2025.10.08 16:05:35 IST
Reason: Approved

DLB/Land/Sanjay

RajKaj Ref No.: 18199586

	पूर्व स्वीकृत योजनाओं पर उक्त दर से बाह्य विकास शुल्क लगेगा या पूर्व स्वीकृत योजनाओं पर बाह्य विकास शुल्क पूर्व की टाउनशिप पॉलिसी के अनुसार लगेगा।	टाउनशिप पॉलिसी के प्रावधान लागू नहीं होगें। 24.07.2025 के बाद जो कोलोनियां अनुमोदन होगी उस पर टाउनशिप पॉलिसी 2024 के प्रावधान लागू होगें।
3.	69–ए के संदर्भ में शहरी सेवा शिविर की मार्गदर्शिका के पृष्ठ 144 से 146 पर दिशा निर्देश दिये गये हैं, जिसके बिन्दु सं0 4 के संबंध में स्पष्टीकरण।	चूंकी धारा 69ए के संदर्भ वर्ष 2015 में जारी अधिसूचना में मूल भावना पुरानी हवेलियों, पुराने शहर के मकान व अन्य प्रतिष्ठानों को स्वामित्व दस्तावेज उपलब्ध करवाना था। अतः इस संबंध में स्पष्ट किया जाता है कि जिन लोगों के पास वैधानिक स्वामित्व दस्तावेज है, उनके अलावा निम्न श्रेणी के लोगों को भी 69ए में 300 वर्ग मीटर तक का पट्टा दिया जा सकता है – "प्रत्येक नगर निकाय में वक्त सेटलमेन्ट का एक बड़ा खसरा गैर मुमकिन आबादी होता है, जिसमें पुराना शहर बसा होता है। उक्त खसरे के अंदर आज 100 प्रतिशत आबादी बसी हुई है। उक्त खसरे में कुछ लोगों के पास तो राजा/महाराजा/बापी के पट्टे/ जागीरदारी पट्टे होते हैं, लेकिन कुछ लोगों के पास ऐसे पट्टे नहीं होते हैं, लेकिन वे वर्षों से रहवास कर रहे हैं। अतः उक्त खसरे में जिन व्यक्तियों के पास स्वामित्व दस्तावेज नहीं है, उनको स्टेट ग्रांट एक्ट की कट ऑफ डेट 01.01.1990 (सामान्य वर्ग), 01.01.1996 (एससी/एसटी वर्ग) से पूर्व के कब्जा साक्ष्य यथा बिजली–पानी के बिल/वोटर आईडी/राशनकार्ड या उक्त कट ऑफ डेट से पूर्व के निष्पादित बेचान पत्र/पारिवारिक बटवारनामा को आधार मानते हुए मास्टर प्लान/जोनल प्लान में निर्धारित उपयोग के अनुरूप 300 वर्गमीटर तक का पट्टा दिया जा सकता है।"

Signature valid

Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Designation : Director
Date: 2025.10.08 16:05:35 IST
Reason: Approved

DLB/Land/Sanjay

RajKaj Ref No.: 18199586

		आवासीय उपयोग में अधिसूचना क्रमांक 9899 दिनांक 14.09.2025 के अनुसार शुल्क वसूल किया जाये एवं गैर आवासीय में 500 रू प्रति वर्गगज से राशि लेते हुए पट्टा दिया जाये। नोट – यह ध्यान रहे कि उक्त आधार पर 69ए के पट्टे केवल वक्त सेटलमेंट की पुरानी आबादी क्षेत्र में ही किये जाये। नगर निकायों में सेटलमेन्ट के बाद नगर निकायों को जिला कलक्टर द्वारा समय–समय पर राजकीय सिवायचक भूमियां द्वासफर की हैं, वह भी गैर मुमकिन आबादी दर्ज है। उनमें इस आधार पर 69ए का कोई पट्टा ना दिया जाये। उक्त दोनों प्रकार की आबादी में अंतर/भिन्नता सिद्ध करने के लिए राजस्व दस्तावेजों को प्रमाणिक दस्तावेजों के रूप में उपयोग किया जावे।

(जुईकर प्रतीक चन्द्रशेखर)
निदेशक

क्रमांक : भूमि/एफ.7(ड)(श.से.शि.)डीएलबी/2025/12320–12642 **दिनांक :** 08.10.2025

प्रतिलिपि : सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु –

1. विशिष्ट सहायक, माननीय मंत्री महोदय, नगरीय विकास, आवासन एवं स्वायत्त शासन विभाग, राज० जयपुर।
2. निजी सचिव, शासन सचिव, स्वायत शासन विभाग राज0 जयपुर।
3. महापौर/सभापति/अध्यक्ष, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
4. उप निदेशक (क्षेत्रीय), स्थानीय निकाय विभाग, समस्त राजस्थान।
5. आयुक्त/अधिशाषी अधिकारी, नगर निगम/परिषद/पालिका, समस्त राजस्थान।
6. प्रोग्रामर, निदेशालय को वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु।
7. सुरक्षित पत्रावली।

निदेशक

Signature valid
Digitally signed by Pratik Chandrashekhar Juikar
Designation : Director
Date: 2025.10.08 16:05:35 IST
Reason: Approved

DLB/Land/Sanjay

RajKaj Ref No.: 18199586